संख्या 589/वि0 अनु0–1/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
जिला एवं सत्र न्यायधीश,
तथा प्रमुख कार्यलयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक: 05 अगस्त, 2004

विषयः– भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम,वाहन क्रय अग्रिम एवं कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की मूल एवं ब्याज की किस्तों की नियमित कटौती करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अग्रिमों के शासनादेश संख्या–537/वि0अनु0–1/2004 दिनांक16.7.2004,शासनादेश संख्या–538/वि0अनु0–1/2004,दिनांक16.7.2004 एवं शासनादेश संख्या–538ए/वि0अनु0–1/2004, दिनांक 16.7.2004 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, ऋण अग्रिमों की कटौती/चुकौती की निम्न शर्तें निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त स्वीकृत अग्रिम जिस माह में आहरित किया जाय, ठीक अगले माह से निर्धारित धनराशि की किश्त की नियमित कटौती की जाय ।

(2) उपरोक्त अग्रिमों के मूल एवं ब्याज की नियमित किस्तों की कटौती किए जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी अथवा संस्था जो सम्बंधित कर्मचारी के वेतन एवं कटौतियों के लिए उत्तरदायी हो,का होगा ।

(3) मूल एवं ब्याज की किस्तों की नियमित कटौती /अदायगी न किए जाने पर देय किश्त/किश्तों की धनराशि में जितनी अवधि का विलम्ब हो अथवा उक्त धनराशि का जब तक भुगतान न कर दिया जाय,पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्डक ब्याज की कटौती अगली किश्त के साथ कर ली जायेगी ।

(4) इस सीमा तक शासनादेश संख्या–537/वि0अनु0–1/2004,दिनांक 16.7.2004 का प्रस्तर–4,शासनादेश संख्या–538/वि0अनु0–1/2004दिनांक 16.7.2004 का प्रस्तर–8 एवं शासनादेश संख्या–538ए/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 16.7.2004 का प्रस्तर–5 संशोधित समझे जायेंगे ।उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त।

संख्या–589(1)/वि0अनु0–1/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून ।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
(3) रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,नैनीताल ।
(4) समस्त कोषाधिकारी,उत्तराचंल ।
(5) एन0आई0सी0,देहरादून ।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(टी. एन. सिंह)
अपर सचिव,वित्त।